न्यायालय : जिला न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार, (आर.जे.एस.)

जिला न्यायाधीश संवर्ग

दीवानी विविध प्रकरण संख्या : 01/2026
सीआईएस नंबर : 01/2026
CNR : **RJBA**010000772026

अशोक कुमार जैन पुत्र स्व. छगनराज जैन, निवासी घांचियों का वास जसोल हाल 12–91, Gowli Kumar Swamy Street, Kurnool Kurnol, Dist. Kurnol (Andhra Pradesh)

–प्रार्थी

बनाम

01. हर आम खास,
02. कंचनदेवी पुत्री स्व. छगनराज पतिन बाबुलाल जैन, उम्र 54 वर्ष, निवासी Flat No. 404, Walchand Heights, Gavdevi Rioad, Opp. Kastrui Hospital Behind Navrang Hotel, Bhyander West, Po. Bhaynder Dist. Thane (Maharashtra) 401101
03. मंजू बेन पुत्री स्व. छगनराज पत्नि दिलीप कुमार संकलेचा, उम्र 52 वर्ष, पता – F–310, Ashirwad Palace, Behind Jivkor Nagar, Bhatar Road, Surat City, Surat, Svr college, Gujrat, 395007
04. वानीदेवी पुत्री स्व. छगनराज पत्नि पृथ्वीराज जैन, उम्र 51 वर्ष, निवासी – A 402, Anmol Tower, Camp Road, Shahibaug, Ahmadabad City, Shahibag, Ahmadabad Gujrat 380004
05. राजेन्द्र कुमार जेन पुत्र स्व. छगनराज, जाति जैन, उम्र 50 वर्ष, निवासी – 43–194–B, Nr Peta, Near Munisipal office, Nr Peta, VTC Kurnool Po. NR Peta Dist. Kurnool (Ahdra Pradesh)

518004

06. जैन प्रवीण कुमार पुत्र छगनराज, जाति जैन, उम्र 45 वर्ष, निवासी–801, Vimal Villa, deepa Complex, Opp. Sanghvi Tower, adajan road, Surat City, Surat, Navyug College, Gujrat 395009

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

उपस्थिति:–

1. श्री सुरेश नारायण खारवाल, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी ।
2. श्रीमती राजेश्वरी, अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी संख्या 02 ता 06 की ओर से ।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 22.05.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 08.01.2026 को प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के पिता स्व. छगनराज पुत्र स्व. मुलतानमल, जाति जैन, निवासी जसोल का स्वर्गवास दिनांक 19.01.2018 को एवं प्रार्थी की माता स्वर्गीय मोहनीदेवी पत्नि छगनराज का स्वर्गवास दिनांक 15.11.2020 को हो चुका है । प्रार्थी उनका जायंदा पुत्र है । प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 से 6 स्व. छगनराज व मोहनीदेवी के विधिक वारिश व उत्तराधिकारी है जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार है –
मृतक छगनराज पुत्र मुलतमानमल – 1. मोहनीदेवी (पत्नि, फौत) 2. अशोक कुमार 3. राजेन्द्र कुमार 4. प्रवीण कुमार (पुत्र) 5. कंचनदेवी 6. मंजूबन 7. वानीदेवी (पुत्रियां)
2. यह है कि प्रार्थी स्वयं के पिता व माता की चल सम्पति गहनें, जेवरात वगैरा की सुरक्षा हेतु लॉकर (सुरक्षा पेटी) उनके जीवनकाल में लिया हुआ था जो दी बाड़मेर सैन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जसोल में है जिसके लॉकर संख्या 63 है, जिसके सुरक्षा पेटी संख्या 63 श्रेणी TT, चाबी नम्बर 28, दिनांक 26.08.89 को जारी की गई जो चल सम्पति सोने–चांदी इत्यादि रखने हेतु लिया था जिसका संचालन प्रार्थी के माता–

पिता करते थे । प्रार्थी के माता–पिता का स्वर्गवास हो चुका है । वर्तमान में उक्त बैंक का कोई नॉमिनी नहीं है जिससे उक्त लॉकर का संचालन नहीं हो रहा है न उनके वारिशान को लॉकर खोलकर उनकी चल सम्पति गहने वगैरा को सुरक्षा में रखने व प्राप्त करने हेतु अनुमति दी जा रही है।

3. यह है कि स्व. छगनराज व मोहनीदेवी के प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 2 से 6 के अलावा अन्य कोई विधिक वारिशान तथा जायंदा संतान पुत्र–पुत्री या अन्य और कोई वारिशान नहीं है जिस पर विप्रार्थी संख्या 2 से 6 ने प्रार्थी अकेले के पक्ष में संचालन हेतु सहमति भी दी लेकिन उसे लॉकर संचालन से मना कर दिया व सक्षम न्यायालय से उसके नाम का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग की गयी।

4. यह है कि स्व. श्री छगनराज व श्रीमती मोहनीदेवी ने विप्रार्थी बैंक के कार्यालय में खुलवाये गये लॉकर चल सम्पति सोने–चांदी के जेवरात व अन्य आईटम रखे गये जिस पर प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 से 6 ने शाखा प्रबंधक को लॉकर संचालन करने का कहा तो उन्होंने कहा कि आप न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करवाओं तो ही वे आपको लॉकर का संचालन करने देगें।

5. यह है कि हाल ही में दिनांक 28.11.2025 को प्रार्थी, दी बाड़मेर सैन्ट्रल कॉ–आपरेटिव बैंक जसोल गया व उक्त लॉकर संचालन का कहा तो शाखा प्रबंधक ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अभाव में लॉकर संचालन करने से मना कर उपरोक्त लॉकर के संचालन करने हेतु सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाकर प्रस्तुत करने का निवेदन एवं निर्देश दिया।

6. यह है कि स्व. श्री छगनराज व श्रीमती मोहनीदेवी के दी बाडमेर सैन्ट्रल कॉ–आपरेटिव बैंक लिमिटेड जसोल में लॉकर में जमा सम्पति के संबंध में प्रार्थी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है व प्रार्थना पत्र पेश करने का वाद कारण भी उपरोक्त अनुसार पैदा होने से प्रार्थना पत्र बाबत प्राप्त करने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु पेश है।

7. यह है कि प्रार्थी के पिता स्वर्गीय छगनराज पुत्र स्व. मुलतानमल जाति जैन निवासी जसोल का स्वर्गवास दिनांक 19.01.2018 को हो चुका है एवं उसकी माता मोहनीदेवी पत्नि छगनराज का स्वर्गवास दिनांक 15.11.2020 को हो चुका है जिससे प्रार्थी व

विप्रार्थी संख्या 2 से 6 के अलावा अन्य कोई विधिक वारिस व उत्तराधिकारी नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

8. यह है कि प्रार्थी द्वारा मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से प्रार्थी के द्वारा उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अन्य कोई प्रार्थना पत्र पूर्व में पेश नहीं किया गया है।

9. यह है कि प्रार्थी के पिताजी छगनराज व माताजी मोहनीदेवी द्वारा दी बाड़मेर कॉ–आपरेटिव बैंक जसोल से लॉकर जारी करवाने व प्रार्थी मूल रूप से गांव जसोल का निवासी होने से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री के क्षेत्राधिकार का होकर अंदर म्याद पेश है।

10. यह है कि प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने का आदेश होने पर प्रार्थी नियमानुसार न्याय शुल्क के स्टाम्प न्यायालय में पेश करने हेतु तैयार व तत्पर है जिस हेतु इसी कदर अण्डर टेकिंग लेता है।

11. इस्तदुआ यह है कि प्रार्थी के पिता स्वर्गीय छगनराज पुत्र स्व. मुलतानमल व माता स्वर्गीय मोहनीदेवी पत्नी छगनराज के संयुक्त नाम से दी बाड़मेर सैन्ट्रल कॉ–आपरेटिव बैंक लिमिटेड जसोल में लॉकर संख्या 63 दिनांक 26.08.89 को जारी किया गया जिसके सुरक्षा पेटी संख्या 63 श्रेणी TT, चाबी नम्बर 28, दिनांक 26.08.89 को जारी करवाया था जिसमें सोने–चांदी के जेवरात व अन्य आईटम है जो सम्पूर्ण प्रार्थी पाने का हकदार होने से प्रार्थी के हक में लॉकर का संचालन करने बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने का आदेश फरमावें।

12. आवेदन दर्ज किया जाकर विधिवत् नोटिस जारी किए गए व अखबार में नोटिस प्रकाशित करवाकर आपत्तियां आमंत्रित की गयी, किन्तु कोई उजरदार उपस्थित नहीं हुआ ।

13. अप्रार्थी संख्या 02 ता 06 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर सभी कथनों को स्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विप्रार्थीगण व प्रार्थी के पिता स्व. छगनराज पुत्र स्व. मुलतानमल व माता स्वर्गीय मोहनीदेवी पत्नि छगनराज के संयुक्त नाम से दी बाडमेर सैन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जसोल में लॉकर संख्या 63 दिनांक 26.08.89 को जारी किया गया जिसके

सुरक्षा पेटी संख्या 63 श्रेणी TT, चाबी नंबर 28, दिनांक 26.08.89 को जारी करवाया था, के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो विप्रार्थीगण को कोई आपत्ति या एतराज नहीं है ।

14. आवेदन के समर्थन में प्रार्थी की ओर से ए.डब्ल्यू. 01 अशोक कुमार जैन के कथन लेखबद्ध करवाये तथा प्रार्थी का मूल आधार कार्ड प्रदर्श 01 जिसकी छायाप्रति प्रदर्श 01ए, मृतक छगनराज का वोटर आईडी प्रदर्श 02, प्रार्थी का राशन कार्ड प्रदर्श 03, मृतक छगनराज का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 04, प्रार्थी की माता का मत पहचान पत्र प्रदर्श 05, बैंक लॉकर का एप्लीकेशन फॉर्म प्रदर्श 06,लॉकर प्राप्ति रसीद प्रदर्श 07, बैंक खाता रेकर्ड प्रदर्श 08, प्रार्थी के माता–पिता का लॉकर विजिट फॅार्म प्रदर्श 09, प्रार्थी की बहनें कंचन, मंजू, वानीदेवी, भाई राजेन्द्र कुमार व प्रवीण कुमार के आधार कार्ड क्रमशः प्रदर्श 10, 11, 12, 13 व 14 व अखबार का बिल प्रदर्श 15 व उसकी छायाप्रति प्रदर्श 16 प्रदर्शित करवाये गये हैं । अप्रार्थी ने साक्ष्य पेश नहीं की ।

15. बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

16. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क दिया कि प्रार्थी के पिता स्वर्गीय छगनराज पुत्र स्व. मुलतानमल व माता स्वर्गीय मोहनीदेवी पत्नी छगनराज के संयुक्त नाम से दी बाड़मेर सैन्ट्रल कॉ–आपरेटिव बैंक लिमिटेड जसोल में लॉकर संख्या 63 दिनांक 26.08.89 को जारी किया गया जिसके सुरक्षा पेटी संख्या 63 श्रेणी TT, चाबी नम्बर 28, दिनांक 26.08.89 को जारी करवाया था जिसमें सोने–चांदी के जेवरात व अन्य आईटम है जो सम्पूर्ण प्रार्थी पाने का हकदार होने से प्रार्थी के हक में लॉकर का संचालन करने बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निवेदन किया ।

17.इस प्रकरण में अवधार्य बिन्दु यह है किः–

"आया प्रार्थी अशोक कुमार उसके पिता स्व. छगनराज व माता स्वर्गीय मोहनीदेवी के नाम से दी बाडमेर सेंट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जसोल में संयुक्त लॉकर नंबर 63 को संचालित करने व खोलने के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है ?"

18. ए.डब्ल्यू. 01 अशोक कुमार जैन ने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में आवेदन में

वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया है कि उसके पिता छगनराज व माता मोहनीदेवी फौत हो चुकी है । उनका लॉकर (सुरक्षा पेटी) दी बाडमेर सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक में लॉकर संख्या 63 के संचालन हेतु उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया है । प्रार्थी का मूल आधार कार्ड प्रदर्श 01 जिसकी छायाप्रति प्रदर्श 01ए, उसके पिता मृतक छगनराज का वोटर आईडी प्रदर्श 02, प्रार्थी का राशन कार्ड प्रदर्श 03, उसके पिता मृतक छगनराज का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 04, प्रार्थी की माता का मत पहचान पत्र प्रदर्श 05, बैंक लॉकर का एप्लीकेशन फॉर्म प्रदर्श 06, लॉकर प्राप्ति रसीद प्रदर्श 07, बैंक खाता रेकर्ड प्रदर्श 08, प्रार्थी के माता-पिता का लॉकर विजिट फॉर्म प्रदर्श 09, प्रार्थी की बहने कंचन, मंजू, वानीदेवी, भाई राजेन्द्र कुमार व प्रवीण कुमार के आधार कार्ड क्रमशः प्रदर्श 10, 11, 12, 13 व 14 व अखबार का बिल प्रदर्श 15 व उसकी छायाप्रति प्रदर्श 16 प्रदर्शित करवाये गये हैं ।

19. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अप्रार्थीगण की ओर से कोई खण्डन नहीं है न ही अप्रार्थीगण जवाब या साक्ष्य से प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने में कोई ऐतराज जाहिर किया है । अतः विचारणीय बिन्दु संख्या 01 प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है ।

अनुतोष

20. चूंकि अवधार्य प्रश्न संख्या 01 का निस्तारण प्रार्थी के पक्ष में किया गया है जिससे प्रार्थी अशोक कुमार उसके पिता स्व. छगनराज व माता स्वर्गीय मोहनीदेवी के नाम से दी बाडमेर सेंट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जसोल में संयुक्त लॉकर नंबर 63 में पडे जेवरात, नकदी या अन्य जो भी वस्तु हो प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

आदेश

21. परिणामतः प्रार्थी अशोक कुमार की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा दी बाडमेर सैन्ट्रल कॉ- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जसोल में मृतकगण छगनराज व मोहनीदेवी के संयुक्त नाम से खुलवाए लॉकर संख्या 63 में रखने सामान को प्राप्त करने के सीमिति कार्य के लिए

प्रार्थी के हक में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र उसके द्वारा न्याय शुल्क अदा करने की शर्त पर जारी करने का आदेश दिया जाता है । दी बाडमेर सैन्ट्रल कॉ- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जसोल को आदेश दिया जाता है कि वह न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर एवं प्रार्थी की उपस्थिति में अधिकृत Valuer से लॉकर संख्या 63 में रखे सामान का मूल्यांकन कर विवरण न्यायालय में अविलंब प्रेषित करेंगे तथा प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि वह मूल्यांकन राशि पर नियमानुसार देय न्याय शुल्क अदा करे । प्रार्थी यह भी अंडरटेकिंग प्रस्तुत करे कि लॉकर में पाई गई वस्तुओं बाबत् भविष्य में अन्य कोई उत्तराधिकारी पाया जाता है, तो वह इस संबंध में न्यायालय के आदेशों की पालना करेगा ।

(एम.आर. सुथार)
जिला न्यायाधीश, बालोतरा

22. आदेश आज दिनांक 22.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(एम.आर. सुथार)
जिला न्यायाधीश, बालोतरा

GOVIND SHANKER KIRADOO

Steno Gr. III "Authenticate document" Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO Date: 2026.05.25 07:54:32 +0530